न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
35 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	11.05.2018	27.02.2020

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–खाध कारोबारकर्ता श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री महावीर प्रसाद गुप्ता जाति महाजन निवासी मोती बाग रोड बडा कुआं टोक जिला टोंक मैसर्स गोयल एजेन्सी मोती बाग रोड टोंक जिला टोंक
2– मैसर्स गोयल एजेन्सी मोती बाग रोड टोंक जिला टोंक
3–श्री बाबूलाल शर्मा नॉमिनी मैसर्स मणिशकंर ऑयल प्रा0 लि0 एफ–82 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जैतपुरा जयपुर राज0
4– मैसर्स मणिशकंर ऑयल प्रा0 लि0 एफ–82 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जैतपुरा जयपुर राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्वंय तथा 3,4 की और से उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 27.02.2020**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.02.2018 को समय 5.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स गोयल एजेन्सी मोती बाग रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री महावीर प्रसाद गुप्ता जाति महाजन निवासी मोती बाग रोड बडा कुआं टोक जिला टोंक मैसर्स गोयल एजेन्सी मोती बाग रोड टोंक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **कच्ची घाणी सरसो तेल(कबीरा ब्राण्ड)** जिसके बैंच नम्बर वीएस–केएएस–28 एंव पैकिंग की दिनांक जनवरी 2018 अंकित थी रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री विष्णु कुमार गुप्ता को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता विष्णु कुमार गुप्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे कागज के 15 कार्टूनो मे प्रत्ये कमे 24–24 मूल पैक पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 500–500 एम एल पेक **कच्ची घाणी सरसो तेल(कबीरा ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 4 मूल पैक अवस्था ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री विष्णु कुमार गुप्ता को रू0 200/–अक्षरे दो सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसो तेल(कबीरा ब्राण्ड)** 4 मूल पैक को ज्यो का त्यो अलग–अलग चार भागो मे विभाजित कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1882 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1882 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. विष्णु कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री विष्णु कुमार गुप्ता ने मौके पर **कच्ची घाणी सरसो तेल(कबीरा ब्राण्ड)** बतोर वारन्टी मैसर्स मणिशकंर ऑयल प्रा0 लि0 एफ–82 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जैंतपुरा जयपुर राज0 का बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 1385 दिनांक 08.01.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/929 दिनांक 02.04.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/163/एक्ट/2018/168 दिनांक 26.03.2018 अनुसार विष्णु कुमार गुप्ता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **कच्ची घाणी सरसो तेल(कबीरा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

2011 की धारा 3(1) (zf) (a) (i) (a) व 3(1) (zf) (b) (ii) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **कच्ची घाणी सरसो तेल(कबीरा ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **कच्ची घाणी सरसो तेल(कबीरा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसो तेल(कबीरा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)अप्रार्थी श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री महावीर प्रसाद गुप्ता जाति महाजन निवासी मोती बाग रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक मैसर्स गोयल एजेन्सी मोती बाग रोड टोंक जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री बाबूलाल शर्मा नॉमिनी मैसर्स मणिशकंर ऑयल प्रा0 लि0 एफ–82 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जैतपुरा जयपुर राज0 शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.02.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 13:34:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: